न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003432016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—351/16</u> संस्थापित दिनांक—08.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	:	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।		
		अभियोजन
विरुद्ध		
01—राहुल वाल्मीक	पुत्र अशोक वाल्मीक उ	गयु ३० वर्ष
निवासी गांधीनगर	कॉलोनी चंदेरी जिला	अशोकनगर
(ਸ0प्र0)		
		आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।		
आरोपी द्वारा	:– श्री दीपक श्रीवास्तव	अधिवक्ता i

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 08.03.2018 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 3/181, 5/180 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी संजय ने दिनांक 02.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 02.08.16 को समय 20:00 बजे से 20:15 के मध्य वंदना टौकी के सामने पिछोर रोड चंदेरी में जब वह खडे होकर दोस्त से बात कर रहा था तब बस स्टैन्ड की तरफ से जननी एक्सप्रेस को उसके डायवर ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी उसकी मोटरसाइकिल टूट गई तथा उसे चोटें आई। फरियादी के अनुसार वाहन का नंबर एम पी 67 बी 0456 है तथा जिसे चालक राहुल चला रहा था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीके विरुद्ध अपराध क्रमांक 381/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337, 3/181, 5/180 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

 क्या आरोपी ने दिनांक 02.08.16 को समय 20:00 बजे बंदन टॅकीज के सामने पिछोर रोड चंदेरी पर वाहन मारूती वैन ओमनी क्रंमांक एम पी 67 बी 0465 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर 2. मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ? क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना अनुंज्ञप्ति प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 संजय, अ.सा.2 कृष्णाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 संजय ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को पूर्व से नही जानता तथा न्यायालय मे उपस्थित होने पर जान रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी मां कृष्णा सेन के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था तथा फोन पर खडा होकर बात कर रहा था तब वाहन ने आकर उसे टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार वाहन का नंबर उसे नही मालुम तथा वाहन कोन चला रहा था उसे यह भी नही पता। अ.सा.1 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे वाहन से टक्कर मारी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वाहन कमांक एम पी 67 बी 0456 के सबंध मे उसने रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी।

09— उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी राहुल का नाम अपनी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में लेखवद्ध कराया था। इसी प्रकार अ.सा.2 कृष्णाबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनाक को वह अपने लडके साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी और तब उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि वाहन को कोन चला रहा था। उक्त साक्षी

ने इस बात से इंकार किया है कि उसने वाहन क्रमांक अपने कथन मे लेखवद्ध कराया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी का नाम नहीं बताया था। अ.सा.2 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि वाहन जननी एक्सप्रेस का वाहन था।

- 10— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले के फरियादी एवं आहत पक्षद्रोही हो गये है। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी राहुल वाहन को चला रहा था। दोनो साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि प्रकरण मे जप्तशुदा वाहन कमाक एम पी 67 बी 0465 से उन्हे टक्कर लगी थी। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी राहुल ने वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया था तथा अभियोजन यह भी प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि उक्त घटना दीनांक को आरोपी करने मे असफल रहा है कि प्रकरण के जप्तशुदा वाहन से टक्कर लगी थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नही हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को विना अनुज्ञप्ति के चालित कर रहा था।
- 11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 279, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 13— प्रकरण में जप्तशुदा ओमनी वैन जिस पर जननी एक्सप्रेस सफेद रंग की जिसका नंबर एम पी 67 बी 0465 एवं रजिस्टेशन , बीमा छायाप्रति जो पूर्व से सुपुदर्गी पर अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय

न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)